151 / 2023

07/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 8 व 9/3,9/8/1 से 9/8/4 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्तें–वादपत्र विड्रोल करने बाबत पेश की गई,जो शामिल मिसल हो। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। वकील वादीनी ने निवेदन है कि वादीनी ने बंटवाड़ा का वाद–पत्र पेश किया,किन्तु अब वाद हेतुक पर वादीनी वर्तमान वादपत्र आगे चलाना नहीं चाहती है। वाद हेतुक प्रभावी नहीं रहने से प्रकरण आगे नहीं चाहना चाहती है। अतः वादीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद जरिए विड्रोल खारिज फरमाया जावें। वकील प्रतिवादी की ओर से आपति पेश नहीं की गई।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादीनी की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबध बंटवाड़ा का वाद पेश किया था। चूंकि वादीनी अब अपना वादपत्र आगे चलाना नहीं चाहती है। इससे प्रतीत होता है कि वादीनी का वाद हेतुक समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी की तरफ से जवाबदावा पेश कर रखा है,लेकिन काउन्टर क्लेम पेश नहीं हो रखा है। इस कारण वादपत्र जरिए विड्रोल खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी का वादपत्र जरिए विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:59 IST
Reason: SelfAttested

07/03/24

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा